न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा।

पी0ए0केश नं0–15 / 2017–18
लेटा पहाड़िया
बनाम
रैयान मौजा चम्पा

04/11/2020

–: आदेश :–

आवेदक लेटा पहाड़िया, पे0–स्व0 सुरजा पहाडिया, सा0–चम्पा, अंचल–सुन्दरपहाड़ी, जिला–गोड्डा ने मौजा चम्पा के रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया है। आवेदन की प्रति अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी को भेजकर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी के पत्रांक–484 / रा0, दिनांक–13.12.2017 से प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा चम्पा थाना नं0–04 प्रधानी मौजा है। मौजा के पूर्व नियुक्त प्रधान सुरजा पहाड़िया थे। आवेदक लेटा पहाडिया गत प्रधान सुरजा पहाड़िया का ज्येष्ठ पुत्र है। अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत मौजा चम्पा का प्रधान नियुक्त करने के लिए अनुशंसा किया है।

मौजा के सोलह आना रैयतों को आपत्ति हेतु नोटिश का तामिला कराया गया। कहीं से किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक मौजा के सोलह आना रैयतों को सामान्यतया स्वीकार योग्य है।

अतः अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी के अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तराधिकारी के आधार पर आवेदक लेटा पहाडिया, पे0–स्व0 सुरजा पहाड़िया, सा0–चम्पा, अंचल–सुन्दरपहाड़ी, जिला–गोड्डा को मौजा चम्पा थाना नं0–4 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि एक साल का खजाना की राशि कोषागार में जमाकर चलान की प्रति के साथ कबूलियत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
गोड्डा।

04/11/2020

अनुमण्डल पदाधिकारी,
गोड्डा।